न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 63/2021 जिला दौसा

1. लालाराम पुत्र नाथूलाल
2. मोहनलाल पुत्र नाथूलाल
3. भागोती पत्नी नाथूलाल
4. मूलचन्द पुत्र श्रीचन्द
5. नारायण पुत्र श्रीचन्द
6. मोगाराम पुत्र श्रीचन्द
7. रामदेव पुत्र श्रीचन्द
8. गंगासहाय पुत्र सोनीराम
9. नानगा पुत्र सोनीराम
10. रामकरण पुत्र बालूराम
11. कल्ली पत्नी बालूराम
12. रामजीलाल पुत्र बालूराम
    समस्त जाति मीना निवासी खेडा तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
13. अर्जुनी पुत्री बालूराम पत्नी फैलीराम जाति मीना निवासी महेसरा खुर्द तहसील व जिला दौसा।
14. पूनी पुत्री बालूराम पत्नी मुकेश जाति मीना निवासी महेसरा खुर्द तहसील व जिला दौसा।
15. कमलेश उर्फ कमली पुत्री बालूराम पत्नी रोहिताश जाति मीना निवासी छारेडा धोली की ढाणी तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
16. सोमोती पुत्री नाथूलाल पत्नी रामकिशन जाति मीना निवासी बासखो बना की ढाणी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
17. कौशल्या पुत्री नाथूलाल पत्नी सीताराम जाति मीना निवासी बांसखो बना की ढाणी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
18. फूला पुत्री नाथूलाल पत्नी राजाराम जाति मीना निवासी बुगला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
19. गुलाब पुत्री नाथूलाल पत्नी पप्पूलाल जाति मीना निवासी बुगला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
20. गीता पुत्री नाथूलाल पत्नी चौथमल जाति मीना निवासी बांसखो बना की ढाणी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाम

1. श्रीमती छोटा देवी पत्नी श्योदान जाति मीना निवासी खेडा तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
2. मोटा उर्फ शान्ति पुत्री हरसहाय पत्नी रामफूल जाति मीना निवासी माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।
3. प्रभाती पुत्री श्योदान पत्नी किशनलाल जाति मीना निवासी कोटापट्टी तहसील लवाण जिला दौसा।
4. रूकमणी पुत्री श्योदान जाति मीना निवासी कोटापट्टी तहसील लवाण जिला दौसा।
5. सुखपाल पुत्र जयनारायण
6. रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल
7. बाबूलाल पुत्र मंगलाराम
8. डलियाराम पुत्र मंगलाराम
9. कालूराम पुत्र मंगलाराम
10. हरजीराम पुत्र मंगलाराम
11. रामलाल पुत्र मंगलाराम
12. गोविन्दी बेवा मंगलाराम **(नाम हजफ)**

Scanned by CamScanner

13. रामली पुत्री कंवरीलाल
14. अनोखी पुत्री कंवरीलाल
15. लोहडसी पुत्री कंवरीलाल
16. भोती पुत्री कंवरीलाल
    समस्त जाति मीना निवासी खेडा तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा।
17. ग्राम पंचायत थूमडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत थूमडी तहसील नांगलराजावतान।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार दौसा दिनांक 26.07.2021 जो प्रकरण संख्या 05/2017 रिमाण्ड नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 13.06.1990 ग्राम खेडा अनुवानी छोटा बनाम नाथूलाल पर पारित किया गया है।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री सतीश कुमार पारिक
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 13, 15 श्री श्यामबाबू पारीक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक —26.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 26.07.2021 के खिलाफ दिनांक 24.09.2021 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

यह कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान ने अपने आदेश दिनांक 29.05.2017 में प्रशनगत नामा0 सं. 22 वाके ग्राम पंचायत थूमडी ग्राम खेडा दिनांक 13.06.1990 को विधिक वारिसान को बिना सुनवाई का अवसर दिये तस्दीक किया जाना मानते हुये तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में मृतक खातेदारों के विधिक वारिसान की जॉच कर तथा समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये बाद सुनवाई विधिसम्वत निर्णय पारित करें।

तत्पश्चात् उक्त आदेश की अपील में न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.10.2017 को उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के निर्णय दिनांक 29.05.2017 को यथावत रखते हुये अपील खारिज का निर्णय पारित किया एवं तत्पश्चात् उक्त आदेश की अपील में माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर (एकल पीठ) द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.08.2019 को अपील खारिज कर अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.10.2017 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, दौसा ने प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण की कार्यवाही होने पर दिनांक 13.11.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को तहसीलदार दौसा को स्थानान्तरण कर पक्षकारान को तहसीलदार दौसा के समक्ष दिनांक 04.12.2017 को उपस्थित होने के लिए पाबंद करने के आदेश दिये जिस पर तहसीलदार दौसा ने दिनांक 26.07.2021 को तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत थूमडी के नामा. सं. 22 को त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त कर मृतक श्योदान के 3 व मृतक हरसहाय के 1 वारिस के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये।

तहसीलदार दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 26.07.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट लालाराम पुत्र नाथूलाल द्वारा यह अपील प्रार्थना प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 26.07.2021 को निरस्त कर अपीलांट की विधिवत सुनवाई करने के लिए एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की प्रार्थना की।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 20 साल बाद मियाद बाहर अपील को मूल नामान्तरकरण संख्या 22 को मंगाये बिना एवं अपीलान्ट की तामील विधिवत रूप से करवाये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं फर्जी तामिले करवाकर पत्रावली में फर्जी तरीके से उपस्थिति लगवाकर पत्रावली को बहस हेतु नियत कर नामान्तरकरण आदेश दिनांक 13.06.1990 को निरस्त करने का निर्णय दिनांक 26.07.2021 को दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 26.07.2021 को निरस्त कर अपीलांट की विधिवत सुनवाई करने के लिए एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 छोटी मृतक खातेदार श्योदान की बेवा है एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 मोटा मृतक खातेदार हरसहाय की पुत्री है जो कि मृतकों की विधिक वारिसान है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा विरासत के नामान्तरकरण में छोटी बेवा श्योदान एवं मोटा पुत्री हरसहाय के साथ अन्य का नाम भी शामिल कर दिया जो कि विवादित भूमि में कोई विधिक वारिसान नहीं है। प्रशनगत नामा0 सं. 22 वाके ग्राम पंचायत थूमडी ग्राम खेडा दिनांक 13.06.1990 को पूर्व में उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, अति0 संभागीय आयुक्त, जयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा भी गलत व सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक किया जाना मानते हुये निरस्त किया गया है एवं तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा ने दिनांक 26.07.2021 को तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत थूमडी के नामा. सं. 22 को त्रुटिपूर्ण मानते हुये निरस्त कर मृतक श्योदान के 3 व मृतक हरसहाय के 1 वारिस के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में राजस्व मण्डल अजमेर का न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1987 पेज 140 पैरा 13, आर.आर.डी. 1994 पेज 85 पैरा 8 के उद्धरण भी पेश किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर लिये गये। ग्राम पंचायत द्वारा विरासत के नामान्तरकरण में छोटी बेवा श्योदान एवं मोटा पुत्री हरसहाय के साथ अन्य का नाम भी शामिल कर दिया जो कि विवादित भूमि में कोई विधिक वारिसान नहीं है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण विरासत के आधार पर स्वीकार न किया जाकर अन्य व्यक्ति के कब्जे का उल्लेख करते हुए स्वीकार किया गया जिस पर अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान के न्यायालय में की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान ने अपने आदेश दिनांक 29.05.2017 द्वारा प्रशनगत नामा0 सं. 22 वाके ग्राम पंचायत थूमडी ग्राम खेडा दिनांक 13.06.1990 को विधिक वारिसान को बिना सुनवाई का अवसर दिये तस्दीक किया जाना मानते हुये तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में मृतक खातेदारों के विधिक वारिसान की जॉच कर तथा समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये बाद सुनवाई विधिसम्वत निर्णय पारित करें। हमारा विनम्र मत है कि खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसका नामांतरकरण विरासत के आधार पर ही खोला जाना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति के तथा–कथित कब्जे के आधार पर विरासत का नामांतरकरण रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान के आदेश दिनांक 29.05.2017 एवं तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 26.07.2021 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं

Scanned by CamScanner

पाते हैं। जहॉ तक अपीलार्थी के कथित कब्जे का कथन है तो उसके पास एक कानूनी अधिकार एवं विकल्प मौजूद है कि वह उनके अधिकारों के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत् सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर सकता है तथा वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

उक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर हम विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 26.07.2021 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पासशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner